न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

प्रा0 प0 संख्या 75/2019

रूपाराम पुत्र ठाकुरसी जाति जाट निवासी चन्दपुरा तहसील व जिला सीकर

–प्रार्थी–

बनाम

1. बरजी पत्नी दाना जाति जाट निवासीनी चन्दपुरा तहसील व जिला सीकर
2. तहसीलदार, सीकर

– अप्रार्थीगण –

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –वकील प्रार्थीगण – श्री ताराचन्द यादव
वकील अप्रार्थीगण – श्री राजेन्द्र जाखड़

निर्णय

दिनांक :30.1.2023

ील प्रार्थी ने एक दावा उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का मय आवेदन 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया । आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम चन्दपुरा तहसील व जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा नम्बर 448 रकबा 0.05 है0, 647 रकबा 0.85 है0 अवस्थित है। जिसकी खातेदार राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 व प्रतिवादी सख्या 2 ता 6 व बलबीर के नाम चली आ रही है। जिसमें बलबीर की मृत्यु हो चुकी है। अप्रार्थी सख्या 1 ने तथा बलबीर ने अपने हिस्से की भूमि को जरिये विक्रय प्रलेख दिनांक 5.7.2012 के प्रार्थी को विक्रय कर दी थी जिसे महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक द्वारा दिनांक 21.12.2017 को पूर्ण मुद्रांकित किया जा चुका है तथा प्रार्थी को कब्जा सुपुर्द किया जाकर अपना कब्जा भी शुन्य कर दिया है। उक्त विकय प्रलेख के अनुसार प्रार्थी उद्घोषणा करवाने का अधिकारी है। ऐसी स्थिति में

Scanned with Oken Scanner

अप्रार्थीया सख्या 1 व बलबीर का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाकर प्रार्थी को खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाना न्यायसंगत है। राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सख्या 1 व बलबीर का नाम चला आ रहा है जिनमें से बलबीर की मृत्यु हो जाने के बाद बिना किसी विधिक अधिकार के अप्रार्थीया सख्या 1 राजस्व रिकार्ड में बलबीर के नाम दर्ज खातेदारी अपने नाम परिवर्तित करवाने के लिये राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों से सांठ गांठ में लगी है। बाला बाला भूमियों को विक्रय करने में लगी है। अगर वह ऐसा करने में कामयाब हो गई तो प्रार्थी को असीम क्षति होगी जिसकी तलाफी बाद में किया जाना संभव नहीं होगा तथा वाद बाहुलता बढेगी। अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमया जावे कि वह तादौराने दावा भूमि को विक्रय नहीं करें तथा मौके की वर्तमान स्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्यां 1 जरिये वकील उपस्थित रही एंव जवाब प्रस्तुत किया। अपने जवाब में प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुऐ कथन किया कि विवादित भूमि में अप्रार्थीया एवं उसके पुत्र बलबीर का राजस्व रिकार्ड में नाम व स्वामित्व चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा व्यूरचना कर कुटरचित एक स्टाम्प अप्रार्थीया का अंगूठा निशानी व बलबीर के फर्जी हस्ताक्ष कर नोटेरी से पंजिकृत करवाया व उक्त दस्तावेज के आधार पर उप महानिरीक्षक पंजियन सीकर से मुद्रांक शुल्क जमा करवा कर स्वामित्व अंतरण करवा दिया। जिसका ज्ञान होने पर सिविल न्यायालय सीकर में वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें न्यायालय ने अंतिम निर्णय तक सम्पदा को अंतरित नहीं करने हेतु पाबन्द किया है। सिविल न्यायालय में दावा आने एवं अस्थाई निषेधाज्ञा होने के आधार पर प्रार्थी को खातेदार उद्घोषित का अनुतोष संविधिक पोषणीय नहीं होना पुष्ट होने के कारण माननीय न्यायालय में पोषणीय नहीं है। माननीय न्यायालय को गूमराह करने एंव न्याय प्रक्रिया का दुरूपयोग कर न्यायिक जटिलता उत्तपन करने व अप्रार्थीया को हैरान व परेशान करने की गर्ज से दावा एवं प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा की संतुलन भी अप्रार्थीया के पक्ष में है। पंजिकृत खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने पर संविधिक बाध्यता है। अपने विशेष कथन में अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुऐ कथान किया कि वह 90 वर्ष की वृद्व सिनियर सीटीजन महिला है जिसमें मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण में लेकर उसके स्वामित्व अधिकारों में दखल नहीं करने बाबत पांबद किया जावे। जिन दस्तावेजों पर प्रश्न चिन्ह लगा हो तथा न्यायालय में शुन्य की उद्घोषणा का दावा पेश हो एवं अस्थाई निषेधाज्ञा सिविल न्यायाधीश द्वारा जारी पर माननीय न्यायालय उक्त दस्तावेजों को साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 में साक्ष्य में ग्रहण पर पढ ही नहीं सकता। जिसके

30/1/23

Scanned with Oken Scanner

कार को आवेदन प्रथम दृष्टया पोषणीय नहीं होना पुष्ट है। अतः आवेदन खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष सूनी गई जो मुताबिक आवेदन, जवाब आवेदन रही। वकील जवाबदाता ने अपने तर्कों के समर्थन में डीएनजे 2021 (1) रेव. पेज 13, पेज 119, आरआरडी 2017 पेज 286 एवं एआईअर 2009 पेज 60 की नजीरें पेश की एवं सिविल न्यायालय के दस्तावेजात पेश किये। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एंव प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया । अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के निर्णय के लिये तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णित क्षति पर विचारण किया है। जो निम्न प्रकार से हैं–

1. **प्रथम दृष्टया मामला–** प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार ग्राम चन्दपुरा तहसील व जिला सीकर की तन में उपरोक्त विवादित कृषि भूमि की खातेदारी में बरजी पत्नी दाना हिस्सा 1/10 एवं बलबीर पुत्र दाना हिस्सा 1/10 के नाम दर्ज है एवं शेष हिस्से में अन्य खातेदार है। प्रार्थी के अनुसार सख्या 1 ने तथा बलबीर ने अपने हिस्से की भूमि को जरिये विक्रय प्रलेख दिनांक 5.7.2012 के प्रार्थी को विक्रय कर दी थी जिसे महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक द्वारा दिनांक 21.12.2017 को पूर्ण मुद्रांकित किया जा चुका है तथा प्रार्थी को कब्जा सुपुर्द किया जाकर अपना कब्जा भी शुन्य कर दिया है। विवादित भूमि में अप्रार्थीया एवं उसके पुत्र बलबीर का रा रेकार्ड में नाम व स्वामित्व चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा व्यूरचना कर कुटरचित एक स्टाम्प अप्रार्थीया का अंगूठा निशानी व बलबीर के फर्जी हस्ताक्ष कर नोटेरी से पंजिकृत करवाया व उक्त दस्तावेज के आधार पर उप महानिरीक्षक पंजियन सीकर से मुद्रांक शुल्क जमा करवा कर स्वामित्व अंतरण करवा दिया। जिसका ज्ञान होने पर सिविल न्यायालय सीकर में वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें न्यायालय ने अंतिम निर्णय तक सम्पदा को अंतरित नहीं करने हेतु पाबन्द किया है। सिविल न्यायालय में दावा आने एवं अस्थाई निषेधाज्ञा होने के आधार पर प्रार्थी को खातेदार उदघोषित का अनुतोष संविधिक पोषणीय नहीं होना पुष्ट होने के कारण माननीय न्यायालय में पोषणीय नहीं है। उक्त विक्रय प्रलेख के अनुसार प्रार्थी उदघोषणा करवाने का अधिकारी है। प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार विक्रय प्रलेख उपमहानिरीक्षक पंजियन एंव मुद्रांक द्वारा पंजीकृत किया जा चुका है। जिसके आधार पर प्रार्थी उदघोषणा का दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। जहां तक दस्तावेजात के कुटरचित एवं फर्जी होने का प्रश्न है जवाबदाता के अनुसार उन्होने सिविल न्यायालय में दावा दायर कर रखा है एवं माननीय न्यायालय द्वारा

30.1.2023

Scanned with Oken Scanner

विक्रय पर स्थगन भी है। इससे स्पष्ट है कि जब तक माननीय न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता विवादित आराजियात की यथास्थिति रखा जाना न्यायोचित है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित है।

2. सुविधा का संतुलन – प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित है साथ ही विवादित भूमि के बाबत पक्षकारान के मध्य सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के कारण सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।

3. अपूर्णिय क्षति – यदि माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय के पूर्व अप्रार्थी सख्या 1 द्वारा किसी प्रकार से बलबीर की भूमि अपने नाम करवाकर उसे विक्रय किया जाता है तो अपूर्णिय क्षति प्रार्थी को होना स्वभाविक है तथा वाद बाहुलता का भी अंदेशा है। यह सिद्वांत भी प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है।

4. निष्कर्ष– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पक्ष में सभी बिन्दु प्रमाणित है। प्रस्तुत नजीरों में से डीएनजे 2021 (1) रेव. पेज 13 में माननीय न्यायलय ने यह स्पष्ट परिभाषित किया है कि सिविल न्यायाल ने रजिस्टर्ड पॉवर ऑफ अटार्नी को कूटरचित होना घोषित किया है। कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर [illegible] प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार माननीय सिविल न्यायालय द्वारा अभी प्रार्थी के दस्तावेजात को कुटरचित घोषित नहीं किया गया है। इस नजीर के आधार पर जवाबदाता को कोई सहायता प्रदान नहीं की जा सकती है। अन्य नजीरें भी जवाबदाता के कथनों पर चस्पा नहीं होती है। अतः आवेदन प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का वाके ग्राम चन्दपुरा तहसील व जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा नम्बर 448 रकबा 0.05 है0, 647 रकबा 0.85 है0 का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह तादौराने वाद विवादित भूमियों के रिकार्ड की यथास्थित बनाये रखें।

निर्णय आज दिनांक 30.1.2023 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया ।

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर

Scanned with Oken Scanner